ग्राम पंचायत तलवाड़, विकास खण्ड लम्बागांव जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176096 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत तलवाड़, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेणू	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 17.04.2022
2	श्री रवि कुमार	18.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री कपिल देव	01.04.2022 से 10.10.2022
2	श्रीमती पूनम	11.10.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती नेहा	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत तलवाड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	14.36
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	34.97
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
4	7.2	पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.93
5	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.74
6	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	2.99
7	8.3	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	3.49
	9.1	पेवर ब्लाक हेतु अनियमित भुगतान	4.81
8	11	स्त्रोत पर टी0 डी0 एस0 की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण सरकारी राजस्व की हानि	0.09
9	12	विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	8.36
10	14	ऑनलाईन रोकड़ बहियो में अनुचित/असमर्थित/समायोजित प्रविष्टियां करने बारे	15.93

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत तलवाड़ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.12.2024 से 18.12.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	08/2022
2023—24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/639 दिनांक—18.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक लम्बागांव के मल्टीसिटी चैक संख्या 466786 दिनांक 21.12.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 **(क).वित्तीय स्थितिः—**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/618 दिनांकः—10.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1173560.00	721892.00	1895452.00	478904.00	1416548.00
2023-24	1416548.00	403172.00	1819720.00	485909.00	1333811.00

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	4928156.39	2046807.58	6974963.97	3222353.58	3752610.39
2023-24	3752610.39	1384936.95	5137547.34	1640472.95	3497074.39

कुल योग (1+2)1333811+3497074.39=**4830885.39**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों /वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹48,30,885.39/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹33,94,702.75/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019004926	1364239.00
2	तीसरा वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388110	00
3	वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058433048	89793.00
4	ए.ए.वाई/आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019045986	00
5	डबल्यू.डी.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019031519	00
6	सी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388074	00
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388029	00
8	जेड.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50060646122	00
9	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388052	00
10	15वॉंवित्त/पी.एस/जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038673	1939934.75
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			736
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹3394702.75
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹4830885.39
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–				₹3394702.75
अन्तरः–				1436182.64

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹14.36/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत तलवाड़ द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1436182.64 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/619 दिनांकः–11.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत तलवाड़ के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित तथा वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20019004926 व 50058433048 खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं एवं नियमों निर्देशों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/638 दिनांकः—18.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—जी.पी.टी/47 दिनांकः—18.12.2024 द्वारा अंकेक्षण के आश्वस्त किया गया कि शीर्ष वाईज खातो का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹11,61,578 से ₹13,64,239 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/638 दिनांकः 18.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—जी.पी.टी/47 दिनांक 18.12.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹34.97/— लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/618 दिनांक:–10.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹3497074.39/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिसमें 14वें वित्तायोग का ₹8474 का माइनस बैलेंस भी शामिल था:–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	19390
2	एस.डी.पी	31.03.2024	80000
3	सी.आर.एफ	31.03.2024	334
4	एम.पी.लेड	31.03.2024	1535
5	आई.डबल्यू.डी.पी	31.03.2024	3050
6	आर.ए.वाई	31.03.2024	1750
7	एस.बी.एम	31.03.2024	200
8	13वाँवित्त	31.03.2024	1472564
9	14वाँवित्त	31.03.2024	-8474.36
10	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1926725.75
		कुल जोड	**3497074.39**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/623 दिनांक–16.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र–जी.पी.टी/47 दिनांक:–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनउपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों एवं माइनस बैलेंस का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा यथास्थिति कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.65/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/618 दिनांकः–10.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹64585/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा सम्पत्तिकर/गृहकर की कोई वसूली नहीं की गई। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई कुल मांग व दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/624 दिनांकः–16.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रह रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए

तथा इससे संबंधित मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत राजस्व ₹0.93/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना के अंतर्गत पंचायत क्षेत्र के समस्त परिवारो से समय–समय पर ग्राम पंचयात द्वारा निर्धारित जल शुल्क प्रति परिवार/नल की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/618 दिनांकः–10.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार जल शुल्क के रूप में **₹93250**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। उक्त राशि की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के परिवार सग्रहण रजिस्टर/मांग तथा वसूली रजिस्टर को का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था। जिसके अभाव में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** में दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित की गई कुल मांग व वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस वकाया जल शुल्क की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई गई थी,जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली हेतु गम्भीर नहीं है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/632 दिनांकः–17.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा उक्त से संबंधित मांग व वसूली रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके तथा संबंधित मांग व वसूली रजिस्टर को भी तैयार करके तथा समय–समय पर ग्राम पंचायत/सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 पानी समिति योजना से प्राप्त आय ₹0.03/- को बैंक में जमा न करवानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत तलवाड द्वारा संचालित उक्त परियोजना की रसीद बुको के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार ₹3250 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थेः–

क.स.	रसीद संख्या	रोकड बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय	बैंक में जमा	कम जमा
1	0335 से 0400	निल	59400	56150	3250

इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/636 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 156388 द्वारा करके सभा निधि खाता सख्या 20019004926 में दिनांक 20.12.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगार कदम उठाये जाऐं।

7.4 ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम/पानी समिति परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 89(1)(2) के अंतर्गत प्रावधित अन्य अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/632 दिनांकः 17.12.2024 द्वारा मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी. पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा दी गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा संचालित उक्त परियोजना से संबंधित निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का अनुरक्षण नहीं किया गया था, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
1.	अवधि जिस दिनांक से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त योजना संचालित की जा रही है, उसका सम्पूर्ण ब्यौरा।	इससे संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
2.	हस्तांतरण के समय संबंधित योजना की सम्पतिया व दायित्व से संबंधित ब्यौरा।	संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3.	जब उक्त स्कीम ग्राम पंचायत को हंस्तातरित की गई ,उस समय बकाया राशि से संबंधित ब्यौरा,परिवारो/नलो से संबंधित संख्या ब्यौरा।	संबंधित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं है,उन्हे तैयार करने उपरान्त अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
4.	परिवार सग्रहण रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
5	बिल बुक स्टॉक रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
6	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
7	मांग तथा वसूली और आय और व्यय रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
8	पानी समिति कार्यवाही रजिस्टर	तैयार नहीं किया गया
9	तकनीकी सूचना रजिस्टर व अन्य संबंधित अभिलेख	तैयार नहीं किये गये

अतः उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेखो को अनुरक्षित न किए जाने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.5 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.03/- लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट–"6"** अनुसार 11 विवाह पंजीकृत किये गये थे,जिस हेतु ₹200/400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹3000 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे:–

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/625 दिनांक:–16.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलवाड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–GPT/47 दिनांक:–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जायेगी। प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.6 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/– लाख को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/618 दिनांक:–10.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत तलवाड़ द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹2200 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई, परन्तु उसे न तो उसे सरकारी कोष में और न ही बैंक में जमा करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	800
2	2023–24	1400

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष/बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/625 दिनांक:–16.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलवाड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसे रसीद संख्या 156389 द्वारा सभा निधि खाता सख्या 20019004926 में दिनांक 20.12.2024 को ग्राम

पंचायत के निधि खाते मे जमा करवा दिया गया है। जिसकी निधि खाते में जमा होने की अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है,परन्तु उक्त राशि राजकीय कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित है।

अतः पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.74/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत तलवाड़ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार ₹74300/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/628 दिनांकः–16.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.99/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तलवाड़ द्वारा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"7"** पर संकलित

राशि ₹2,98,740/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त मद बार स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/629 दिनांकः–16.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.टी/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्थाई स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹3.49/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निषादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹349411.38/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम, प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/630 दिनांकः–17.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPT/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है, प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमों के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹4.81/- लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

सचिव **(RD&PR)** हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹480874 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित एवं आपतिजनक हैः–

क्र0सं0.	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	14^{TH} FC	20/ 24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 349 dt.-11.07.2022	1600	30294
2	14^{TH} FC	20/24.08.2022	40mm(Paver.Block)from M/s Mohindera	2450	39609

			Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 350 dt.-11.07.2022		
3	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 348 dt.-11.07.2022	2500	44975
4	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 351 dt.-02.07.2022	1500	28042
5	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 352 dt.-09.07.2022	2600	46774
6	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 353 dt.-01.07.2022	1350	26325
7	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 354 dt.-01.07.2022	2600	46774
8	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 355 dt.-01.07.2022	2500	44975
9	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 356 dt.-10.08.2022	2900	46110
10	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 357 dt.-11.08.2022	1600	27184
11	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 358 dt.-10.08.2022	2500	44975
12	14TH FC	20/24.08.2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 359 dt.-10.08.2022	1100	21450
13	15TH FC	02/16.06.2023	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 698 dt.-16.06.2022	2629	30207
14	15TH FC	03/16.06.2023	40mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 604 dt.-10.02.2023	200	3180
				Total	480874

उपरोक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए क्रय तथा वर्णित पत्रानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु, जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/633 दिनांकः—17.12.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्याः—GPT/47 दिनांकः—18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 14वें वित के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.04/—लाख का अधिक भुगतान करना :—

निर्माण एम्बुलेन्स रोड बोडी से प्यार चन्द के घर की ओर वार्ड—3 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया निम्न तालिका के अनुसार माप पुस्तिका संख्या 11028 के पृष्ठ संख्या 33 व 34 में निर्माण सामग्री, रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 122 दिनांक 15.06.2022 तथा 129 दिनांक 12.03.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 250 cft का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप मूल्यांकन की अपेक्षा सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण **₹4497/—** का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	नरेगा	रेत	250 cft	158cft	92	48.877	4497

<u>वास्तविक खपत योग्य सामाग्री का विवरण</u> :—

1. Item-3 P/L(1:3:6)-9.126m3X.47(Sand Factor)+5%(Varitation)=158cft

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/631 दिनांकः—17.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 156390 द्वारा करने उपरान्त, खाता संख्या 20019004926 में दिनांक 20.12.2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जाँच एवं सत्यापना उपरान्त ही भुगतान किए जाने सुनिश्चित किये जाएं।

10 अनुदान 15वें वित के अंतर्गत राशि ₹1.0/– लाख की सामग्री का अनियमित क्रय करने बारे:–

ग्राम पंचायत द्वारा साफ–सफाई व कूड़ा करकट के लिये डस्ट बिन स्थापित करने हेतु निम्नविवरणानुसार राशि ₹ 100000 का भुगतान किया गया था। व्यय वाउचरो का अवलोकन करने पर निम्न आपतियां पाई गई:–

1.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) ए के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹50000 से अधिक की खरीद पर न्यूनतम दो समाचार पत्रो द्वारा टेन्डर कॉल किये जाने अपेक्षित है। चयनित मास 06/2023 में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनुदान के अंतर्गत टेन्डर कॉल करने की प्रकिया को पूर्ण किये बिना ही साफ–सफाई व कूड़ा करकट के लिये राशि ₹100000 के डस्टबिन की खरीदी की गई। जोकि उपरोक्त नियम की पूर्णतः अवहेलना के दृष्टिगत अनियमित तथा आपतिजनक है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ₹100000 का अनियमित भुगतान किया गया।

2.ग्राम पंचायत द्वारा बिना निविदाये आंमत्रित किये क्रय किया गया तथा प्राप्त निविदाओं में मै0 मनु ईंटरप्राईजेज सुजानपुर टीरा द्वारा दी गई निविदा बिना जी.एस.टी के ही प्राप्त की गई थी।

3.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) के अनुसार उक्त सामग्री की खरीद से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक उप–समिति गठित की जानी थी, जिसमें कि प्रधान,उप प्रधान ,दो वार्ड सदस्य जो ग्राम पंचायत द्वारा नामित किये गये हो व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, जिसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

4.उक्त क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक की दर संविदा (Rate Contract) अथवा Gem Portel से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये किया जाना वांछित था तथा यदि उक्त सामग्री हि0 प्र0 सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portel से उपलब्ध नहीं होती है तो पंचायत द्वारा उक्त सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी।

5.उक्त क्रय की गई सामग्री को स्थायी परिसम्पति स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया था।

क्र0सं0 व अनुदान	वाचर स. /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं. /दिनांक	सामग्री	मात्रा	दर	राशि
1.15TH FC	11/ 17.06.2023	M/s Jai Jawala Steel Industries Sujanpur Tira	391/ 28.08.2023	Dust bin made of M.S steel with painting etc.(Including GST)	14	7142.858	100000

इन अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/634 दिनांकः–17.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPT/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमानुसार ही खरीद की जाएगी तथा अन्य अनियमितताओं हेतु नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उक्त सामग्री का स्थायी स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अधिक राशि का व्यय नियमो की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं था। अतः मामला उच्चधिकारियो के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि मामाले की छानबीन व पडताल करने उपरान्त वस्तुस्थिति नियमों, प्रावधानों अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 स्त्रोत पर टी0 डी0 एस 0की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.09/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवायों और दोनों की आपूर्ति हेतु **₹** 2.5 लाख रुपये से अधिक की अदायगियों से @2% की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप(annexure-A) अनुसार GSTR7 फाइल करने हेतु अभिलेख तैयार करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत द्वारा पर "परिशिष्ट -9 "प्रस्तुत सूचना अनुसार पाया गया कि 14 वा वित् शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये निम्नविवरणानुसार निर्माण सामग्री प्राप्ति की गई थी किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्तिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹8950/-** की कटौती (टीडीएस) नहीं की गई थीः-

क्रम स०	वो0/दिनांक	कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम	परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि	स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि
1.	परिशिष्ट अनुसार (क्रम स०1 से 12)	मै०मोहिन्द्रा इंडस्ट्री कुठान जयसिंहपुर	447487	8950

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/635 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत तलवाड को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPT/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया, कि उक्त भुगतान की गई राशि पर टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि में ऐसे अन्य मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹8.36/– लाख के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 08/2022 व 06/2023 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹8,36,358/–का भुगतान किया गया था, परन्तु उल्लेखित निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि₹	वांछित अभिलेख
1.14वा वित	पी/15,20 ,21/04. 08.	मस्ट्रोल सं–020841,351, 352,123/02.07.	निर्माण/मुरम्मत पेवर ब्लॉक जीपेवल रोड महिन्द्रपाल के घर से	121225	माप पुस्तिका,34–सी

	2022,24. 08.2022	2022,09.07. 2022,15.06.2022	रविन्द्र पाल के घर की ओर वार्ड–7		
2.14वा वित	पी/20,21 /24.08. 2022	356,357,117/1 0.11.08.2022,15. 08.2022	मुरम्मत/रख रखाव पेवर ब्लॉक सतो के घर से गोपाल के घर की ओर वार्ड–6	114916	प्रस्ताव ,माप पुस्तिका, 34–सी
3.14वां वित	पी/20,21 /24.08. 2022	358,359,124,125 /10.08. 2022,01.07.2022	निर्माण जीपेवल पेवर ब्लॉक सडक लिंक रोड से नरेन्द्र,विरेन्द्र सवर्णा के घर की ओर वार्ड–4	147887	प्रस्ताव ,माप पुस्तिका, 34–सी
4.मनरेगा	01,64/2 0.08. 2022,20. 06.2023	मस्ट्रोल सं–2139, 206/05.08. 2022	निर्माण रास्ता देश राज के घर से लेकर गोपाल दास के घर की ओर वार्ड–06	41919	माप पुस्तिका, 34–सी
5.15वां वित	पी/10/ 16.06. 2023	मस्ट्रोल सं–22	निर्माण एम्बुलेन्स सडक पी. डब्लयू.डी रोड से अशोक कुमार के घर की ओर वार्ड–07	18144	बजट प्राक्क्लन ,तकनीकी स्वीकृति,माप पुस्तिका
6.15वां वित	पी/2,14, 15/16,1 7.06.2023	698,90,00257/ 16,17.06.2023	निर्माण टाईल रास्ता रजनीकांत के घर से मंदिर की ओर वार्ड–3	42647	माप पुस्तिका,34–सी
7.15वां वित	पी/3,4/ 16.06. 2023	604,243/10.02. 20235.01.2023	निर्माण पेवर ब्लॉक रास्ता सुभाष चन्द की दुकान से लेकर बाजार की ओर वार्ड–2	12318	माप पुस्तिका
8.15वां वित	पी/6/1 6.06.2023	185/16.06. 2023	सोलर लाईट वार्ड 1 से 7 तक	196050	माप पुस्तिका
9.पी.एस	पी/8/1 6.06.2023	मस्ट्रोल सं–21	निर्माण सडक सुनील के घर से संसार ढडवाल के घर तक वार्ड–1	7672	माप पुस्तिका, 34–सी
10.जेड.पी	पी/9,12,	81,173,000256	निर्माण महिला मण्डल	66180	प्रस्ताव,बजट

	13/16,1 7.06.2023	/16,14.06. 2023,17.06.2023	भवन हरडून वार्ड–3		प्राक्क्लन,माप पुस्तिका
11.नरेगा	65,66/2 0.06.2023	231,232/18.08. 2022	निर्माण डंगा बौडी लन्ज वार्ड–5	32394	माप पुस्तिका
12.नरेगा	67/20. 06.2023	235/05.01. 2023	निर्माण डगां भूमि कटाव प्रीतम चन्द वार्ड–6	13964	माप पुस्तिका
13.नरेगा	73/27. 06.2023	168/31.01. 2023	निर्माण शॉकपिट पूर्ण चन्द स्पुत्र दास राम वार्ड–6	3150	माप पुस्तिका
14.नरेगा	63/20. 06.2023	205/05.08. 2022	निर्माण रास्ता प्रकाश के घर से लेकर भप्पी के घर की ओर वार्ड–6	17892	माप पुस्तिका
			कुल योग	**836358**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत त्लवाड़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/627 दिनांकः–16.12. 2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPT/47 दिनांक 18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यो से संबंधित अभिलेखो व माप–पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना किये गए भुगतानों को सन्देहास्पद बनाता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किये जायें।

13. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15.94/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 08/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरो पर केवल प्रधान के हस्तांक्षर ही करवाये गए थे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1594037.43/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/638 दिनांकः—18.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलवाड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPT/47 दिनांकः—18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से बिल/वाउचरो पर संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा की भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 ऑनलाईन रोकड़ बहियो में राशि ₹15.93/—लाख की अनुचित/असमर्थित/समायोजित प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करने बारे :—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकडबही में प्राप्ति की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹1593022.64/— की समायोजित /हस्तांतरण प्रविष्टियां **(Adjustment/Transfer voucher)** आय—व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थीं, जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही इससे संबंधित प्रविष्टियां बैंक पासबुक में पाई गई, फलस्वरूप निम्न आय—व्यय से संबंधित की गई प्रविष्टियां अनुचित प्रतीत होती हैं:—

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	आय/व्यय	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि ₹
1	14वां वित	पी/1/01.04.2022	व्यय	शून्य	3027
2	वी.के.वी.वाई.एन	पी/2/31.03.2023	व्यय	शून्य	9597
3	14वां वित	आर/2/31.03.203	आय	शून्य	15587
4	सभा निधि	पी/38/31.03.2023	व्यय	शून्य	2628
5	14वां वित	आर/3/31.03.2023	आय	शून्य	1015
6	14वां वित	आर/4/31.03.2023	आय	शून्य	51975

7	सभा निधि	पी / 39 / 31.03.2023	व्यय	शून्य	10744
8	वी.के.वी.वाई.एन	आर / 3 / 31.01.2024	आय	शून्य	1877
9	14वां वित	पी / 1 / 30.03.2024	व्यय	शून्य	22975.64
10	5वां वित	पी / 1 / 30.03.2024	व्यय	शून्य	248
11	13वां वित	पी / 1 / 31:03.2024	व्यय	शून्य	1468913
12	13वां वित	पी / 2 / 31.03.2024	व्यय	शून्य	2359
13	एस.बी.एम	पी / 1 / 30.03.2024	व्यय	शून्य	200
14	वी.के.वी.वाई.एन	पी / 1 / 30.03.2024	व्यय	शून्य	1877
				कुल योग	1593022.64

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 626 दिनांकः–16.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत तलवाड के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPT/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त समायोजित / हस्तांतरण प्रविष्टियां / प्रविष्टियों बारे अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जायें व यथास्थिति कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए

15. मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी, जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत तलवाड़ द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोलों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः–

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्टर–रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था, जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जो कि तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैं:–

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	14वां वित	15/04.08.2022	020841	26510
2	14वां वित	16/04.08.2022	020840	30366
3	14वां वित	17/04.08.2022	020839	36232
4	14वां वित	18/04.08.2022	020842	35182
5	14वां वित	19/04.08.2022	020843	15906

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यो के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरो के स्थान पर केवल पंचायत सदस्यो के हस्ताक्षर ही करवाये गए,जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नही किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.मस्ट्रोल को जिला पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना ही निर्गमित किया गया था।

5.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करने अपेक्षित हैं जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त नियमों के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/637 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या GPT/47 दिनांक 18.12.2024 द्वारा अवगत करवाया कि मस्ट्रोलों से संबंधित उठाई गई आपतियों की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत/उचित नहीं है।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "9.1 व 12" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4 नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

5.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को, किसी व्यक्तिगत निर्माण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में उस सामग्री की वास्तविक प्राप्ति व उपयोग की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/638 दिनांकः– 18.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत त्लवाड़ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPT/47 दिनांकः–18.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो से संबंधित प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

17. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/618 दिनांकः 10.12.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPT/47 दिनांकः—18.12.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास	31	95(1)

	अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर		
11	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/618 दिनांकः—10.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— GPT/47 दिनांकः—18. 12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

19 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

28 FEB 2025

1421—1425

का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(2)454 / 2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि०प्र०।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि०प्र०)।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत तलवाड़, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1 (ऑडिट पैरा संख्या 4.1 (5))

FINANCIAL POSITION OF GP TALWAR BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA (HP)-176096 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1173560.00	721892.00	1895452.00	478904.00	1416548.00
2023-24	1416548.00	403172.00	1819720.00	485909.00	1333811.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	4928156.39	2046807.58	6974963.97	3222353.58	3752610.39
2023-24	3752610.39	1384936.95	5137547.34	1640472.95	3497074.39

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

30

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या - "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP.TALWAR BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	17293.00	220.00	17513.00	0.00	17513.00
		2023-24	17513.00	1877.00	19390.00	0.00	19390.00
2	SDP	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00
3	CRF	2022-23	302.00	32.00	334.00	0.00	334.00
		2023-24	334.00	0.00	334.00	0.00	334.00
4	MPLAD	2022-23	1491.00	44.00	1535.00	0.00	1535.00
		2023-24	1535.00	0.00	1535.00	0.00	1535.00
5	IWDP	2022-23	45501.00	0.00	45501.00	0.00	45501.00
		2023-24	45501.00	0.00	45501.00	42451.00	3050.00
6	RAY	2022-23	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00
		2023-24	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00
7	SBM	2022-23	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
		2023-24	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8	13TH FC	2022-23	1472564.00	0.00	1472564.00	0.00	1472564.00
		2023-24	1472564.00	0.00	1472564.00	0.00	1472564.00
9	14TH FC	2022-23	2201484.64	31259.00	2232743.64	2241218.00	-8474.36
		2023-24	-8474.36	0.00	-8474.36	0.00	-8474.36
10	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1187570.75	1449431.00	2637001.75	415314.00	2221687.75
		2023-24	2221687.75	233360.00	2455047.75	528322.00	1926725.75
11	MGNREGA	2022-23	0.00	565821.58	565821.58	565821.58	0.00
		2023-24	0.00	1069699.95	1069699.95	1069699.95	0.00

Pradhan
Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4.1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत तलवाड़ विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176096

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत तलवाड़ के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22 को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019004926	1161578.00	1364239.00
2	तीसरा वित	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388110	8716.00	00
3	वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50058433048	7696.00	89793.00
4	ए.ए.वाई / आर.ए.वाई	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019045986	1862.00	00
5	डबल्यू.डी.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	20019031519	45797.00	00
6	सी.आर.एफ	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388074	318.00	00
7	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388029	1491.00	00
8	जेड.पी	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50060646122	0.00	00
9	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056388052	2219174.64	00
10	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110038673	1184543.75	1939934.75
11	हस्तगत शेष(संयुक्त ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			355.00	736.00
			कुल योग	**4631531.39**	**3394702.75**

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

32

परिशिष्ट–4(पैरा संख्या –"7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत तलवाड़ विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176096

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 710 व 2023–24 में 730 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अग्रशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	26235	710	50	35500	61735	33650	28085
2023–24	28085	730	50	36500	64585	0	64585
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹64585**/– है।						

Renu
Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

33

परिशिष्ट -5 (पैरा संख्या "7.2")

कार्यलय ग्राम पंचायत तलवाड़ विकास खंड लम्बागाँव जिला काँगड़ा -176096							
ग्राम पंचायत द्वारा संचालित ग्रामीण पानी सप्लाई स्कीम / पानी समीति योजना के अंतर्गत दिनाक 31/3/2024 को बसूली हेतू शेष							
अबधि	अथशेष	कुल नल	दर प्रति बर्ष	कुल मांग	कुल बसूल योग्य राशि	बर्ष दौरान प्राप्त राशि	अंत शेष
2022-2023	302700	491	300	147300	450000	356750	93250
2023-2024	93250	0	0	0	93250	0	93250

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

34

परिशिष्ट – 6 पैरा संख्या – 7.5476 (7.3774)

कार्यालय ग्राम पंचायत तलवाड विकास खण्ड लम्बागांव ,विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष व प्राप्त की गई राशि को बैंक/सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद स0/वि.रजि. पृ.स.	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	नितिन कुमार	22.04.2022	22.05.2022	00057	200	200	0
2	विजय कुमार	23.04.2022	22.05.2022	143	200	0	200
3	सूमित वेद	27.09.2022	03.10.2022	144	200	0	200
4	सुरजीत सिंह	04.08.2022	03.10.2022	144	400	0	400
5	निशांत चौधरी	27.09.2022	30.11.2022	145	400	0	400
6	यशपाल	10.10.1999	30.11.2022	145	400	0	400
7	दिग्विजय चन्द	08.12.2022	18.01.2023	00058	400	200	200
8	अभिषेक शर्मा	25.01.2023	10.02.2023	146	200	0	200
9	कमल कांत	09.02.2023	01.03.2023	00059	200	200	0
10	विकास चन्द	09.02.2023	03.03.2023	00060	200	200	0
11	साहिल कटोच	15.01.2023	03.03.2023	147	400	0	400
12	प्रवीन कुमार	28.04.2017	12.04.2023	000 61	400	200	200
13	महिन्द्र	10.05.2023	17.05.2023	000 62	200	200	0
14	साहिल सेनी	02.05.2023	29.05.2923	000 63	200	200	0
15	संदीप कुमार	04.05.2021	09.08.2023	000 64	400	200	200
16	आंचल सिंह	26.09.2023	16.11.2023	000 65	400	200	200
17	अमन कुमार	31.01.2024	19.02.2024	000 66	200	200	0
18	गोपाल राज	23.03.2024	28.03.2024	00067	200	200	0
				कुल	5200	2200	3000

Renu

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

35

परिशिष्ट–"7" (पैरा संख्या–8.1.8.2)

ग्राम पंचायत तलवाड विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कॉगड़ा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां मंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SF	P/15/24.08.2022	Stationary	0095/04.08.2022	M/s V.K Sood Lambagaon Jaisingpur	—	—	2690	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.SF	P/6/18.06.2023	Epson Ink and Antivirus etc	585/02.05.2023	M/s Computer Solution Upperlambagaon	—	—	4100	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.NREGA	68/27.06.2023	Bricks	155/27.09.2022	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
4.NREGA	69/27.06.2023	Bricks	156/27.09.2022	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
5.NREGA	70/27.06.2023	Bricks	165/31.01.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
6.NREGA	71/27.06.2023	Bricks	166/31.01.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
7.NREGA	72/27.06.2023	Bricks	167/31.01.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
8.NREGA	73/27.06.2023	Bricks	168/31.01.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
9.NREGA	74/27.06.2023	Bricks	171/07.02.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
10.NREGA	75/27.06.2023	Bricks	172/07.02.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	350	9	3150	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
11.15TH FC	P/6/16.06.2023	9 watt LED solar light	185/16.06.2023	M/s H.P Energy Development Agency D/sala(Sidhpur)	15	13070	196050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.15TH FC	P/11/17.06.2023	Dust Bin M.S Steel with painting etc.(Including GST 18%)	391/28.08.2023	M/s Jai Jawala Steel Industries Sujanpur Tira	14	7142.86	100000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.ZP/15TH FC	P/12/17.06.2023	Bricks	173/14.06.2023	M/s Himanshu Traders Pandehar Lambagaon	5000	9	45000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
						G/Total	373040	

नोट: –1. क्रम संख्या 3, से 10 तक व 13 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
2. क्रम संख्या 1, 11, 12 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई है।

Renu

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

36

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – "8.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत तलवाड़ विकास खंड लम्बागाँव जिला काँगड़ा हि.प्र. पिन कोड -176096 द्वारा क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनांक	सामग्री	मात्रा CFT	दर	राशि
1	MGNREGA	63 20/06/2023	Parambir Singh Baluhi Khaira	205 05/08/2022	Sand Crusher	150	48.877	7331.55
					Aggregate	275	38.398	10559.45
2	MGNREGA	64 20/06/2023	Parambir Singh Baluhi Khaira	206 05/08/2022	Sand Crusher	300	48.877	14663.10
					Aggregate	235	38.398	9023.53
3	MGNREGA	66 20/06/2023	Parambir Singh Baluhi Khaira	232 18/08/2022	Sand Crusher	240	48.877	11730.48
					Aggregate	460	38.398	17663.08
4	MGNREGA	67 20/06/2023	Parambir Singh Baluhi Khaira	235 05/01/2023	Sand Crusher	105	48.877	5132.09
					Aggregate	230	38.398	8831.54
5	14FC	P/21 (70) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	126 01/07/2022	Crusher Sand	480	48.8775	23461.2
					River Sand	100	26.8275	2682.75
6	14FC	P/21(71) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	128 01/07/2022	Aggregate	995	38.398	38206.01
7	14FC	P/21(72) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	124 01/07/2022	Aggregate	765	38.398	29374.47
					Crusher Sand	400	48.877	19550.80
8	14FC	P/21(73) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	125 01/07/2022	Aggregate	760	38.398	29182.48
					River Sand	125	26.827	3353.38
9	14FC	P/21(74) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	117 15/08/2022	Aggregate	615	38.398	23614.77
					Crusher Sand	330	48.877	16129.41
					River Sand	70	26.827	1877.89
10	14FC	P/21(75) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	119 15/06/2022	Aggregate	150	38.398	5759.70
					Crusher Sand	250	48.877	12219.25
					River Sand	65	26.827	1743.755
11	14FC	P/21(76) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	122 15/06/2022	Aggregate	200	38.398	7679.60
					Crusher Sand	100	48.877	4887.70
					Aggregate	65	38.398	2495.87
12	14FC	P/21(77) 24/08/2022	Parambir Singh Baluhi Khaira	123 15/06/2022	Crusher Sand	250	48.877	12219.25
					Aggregate	100	38.398	3839.80
					Aggregate	100	38.398	3839.80
13	15th FC	P/4 16/06/2023	Parambir Singh Baluhi Khaira	243 05/01/2023	Sand Crusher	90	48.877	4398.93
					Aggregate	125	38.398	4799.75
14	15th FC	/P/13 17/06/2023	Himanshu Traders Pandher Lambagaon	00256 17/06/2023	Sand	180	35	6300
15	15th FC	P/15 17/06/2023	Himanshu Traders Pandher Lambagaon	00257 17/06/2023	Crusher Sand	140	35	4900
					Aggregate	70	28	1960
Total								349411.38

NOTE:- उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई है व कुल राशि GST सहित ली गयी है।

Renu
Pradhan
Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

परिशिष्ट–"9" (पैरा संख्या –"11")

क.स.	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि(₹)
1	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 349 dt.-11.07.2022	1600	30294
2	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	40mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 350 dt.-11.07.2022	2450	39609
3	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 348 dt.-11.07.2022	2500	44975
4	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 351 dt.-02.07.2022	1500	28042
5	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 352 dt.-09.07.2022	2600	46774
6	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 353 dt.-01.07.2022	1350	26325
7	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 354 dt.-01.07.2022	2600	46774
8	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 355 dt.-01.07.2022	2500	44975
9	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 356 dt.-10.08.2022	2900	46110
10	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 357 dt.-11.08.2022	1600	27184
11	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 358 dt.-10.08.2022	2500	44975
12	14TH FC	20/24.08.2022	08/2022	60mm(Paver.Block)from M/s Mohindera Industry Kuthan Jaisinghpur Bill No 359 dt.-10.08.2022	1100	21450
				Total		447487

नोटः—उक्त बिलो में जी.एस.टी की राशि का विभाजन अलग से नहीं किया गया था। अतः टी.डी.एस राशि की गणना कुल भुगतान की गई राशी पर की गई है।

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Talwar
Dev. Block Lambagaon
Distt. Kangra (H.P.)

38